

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण


कमला

बनाम

बाबूलाल वगै०

नं० :- 289 / 2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
01.04.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश नहीं किया। अतः अप्रार्थीगणों का जवाब बन्द किया जाता है। वकील उभय पक्षों की बहस प्रार्थना पत्र बाबत रेस्टोरेशन पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण सं० 248/2019 उनवान कमलादेवी बनाम बाबूलाल वगै० को पुनः रेस्टोर करने तथा दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को पूर्वानुसार सुनवाई हेतु तलबी जारी करने के आदेश दिये जाते हैं।</p> <p>निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति मूल वाद के साथ हमफिता हों।</p>	

  
उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ जिला-जयपुर